

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (नया प्रस्तावित नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की षष्ठम बैठक

दिनांक: 30 जनवरी, 2017 का कार्यवृत्त

स्थान: मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में

समय: पूर्वान्ह 11:30 से 12:30 तक।

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की षष्ठम बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2017 को उनके एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्यालय
1.	सर्वश्री राहुल भटनागर	मुख्य सचिव	उत्तर प्रदेश शासन।
2.	श्री प्रदीप भटनागर	कृषि उत्पादन आयुक्त	उत्तर प्रदेश शासन।
3.	श्री चंचल कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
4.	श्री दीपक त्रिवेदी	अपर मुख्य सचिव	ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
5.	श्री अजय चौहान	आयुक्त	खाद्य एवं रसद विभाग
6.	श्री कामरान रिज़वी	आयुक्त	ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
7.	श्री शशि भूषण लाल सुशील	सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
8.	डॉ० पिकी जोवेल	विशेष सचिव	कृषि विभाग, उ०प्र० शासन
9.	श्री उदय भानु त्रिपाठी	विशेष सचिव	बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
10.	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
11.	श्री रमेश चन्द्र उत्तम	विशेष सचिव	सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
12.	श्री सुशील कुमार मौर्या	विशेष सचिव	पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
13.	श्री धीरज पाण्डेय	विशेष सचिव	राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
14.	सुश्री प्रीति शुक्ला	विशेष सचिव	लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
15.	श्री अरुन मिश्रा	विशेष सचिव	आई०सी०डी०एस०, उ०प्र० शासन।
16.	श्री शिशिर कुमार यादव	विशेष सचिव	रूरल इंजीनियरिंग विभाग, उ०प्र०।
17.	श्री एन०सी० त्रिपाठी	ओ०एस०डी० (विशेष सचिव)	नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
18.	श्री एम०बी० सिंह	संयुक्त सचिव	आई०टी० विभाग, उ०प्र० शासन।
19.	श्री के०डी० वर्मा	संयुक्त सचिव	समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
20.	श्री जोगेन्द्र प्रसाद	उपसचिव	पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
21.	श्री संजय शुक्ला	उप सचिव	लघु सिंचाई, उ०प्र० शासन।
22.	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय	उप सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।

23.	श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी	अनुसचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
24.	श्री पवित्र कुमार	अनुसचिव	समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
25.	श्री अनिल कुमार दमले	निदेशक	पंचायती राज विभाग
26.	डॉ० ज्ञान प्रकाश	निदेशक	मेडिकल हेल्थ, उ०प्र०।
27.	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
28.	डॉ० सी०एस० यादव	अपर निदेशक (नियोजन)	पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
29.	श्री रामचन्द्र सिंह	अपर निदेशक	कृषि विभाग, उ०प्र०।
30.	श्री एस०के० पटेल	संयुक्त निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
31.	श्री प्रवीण कुमार	उपमहाप्रबन्धक	यू०पी०एल०सी०, उ०प्र०।
32.	श्री केशव सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
33.	डॉ० एन०पी० मॉल	सीनियर रेसिडेंट ऑफिसर	कृषि विभाग, उ०प्र०।
34.	श्री विजय कुमार	पी०डी०	लघु सिंचाई, उ०प्र० शासन।
35.	श्री एस०एन० सिंह	उपनिदेशक(पं०)	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
36.	श्री संजय कुमार बरनवाल	मण्डलीय उपनिदेशक(पं०)	लखनऊ मण्डल, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
37.	श्री गिरिश चन्द्र रजक	उपनिदेशक(पं०)	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
38.	श्री योगेन्द्र कटियार	उपनिदेशक(पं०)	पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
39.	श्री राहुल सिंह	—	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
40.	श्री प्रद्युम्न	—	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
41.	श्री जितेन्द्र सिंह	—	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए—

एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु-1— ग्राम पंचायत विकास योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण	
Basic Statistics of Panchayati Raj Institutions (PRIs) State represents ~ 1/4th of total PRIs in the country having ~ 60,000 out of 2.50 Lacs PRIs State represents ~ 1/5th of total rural Population of the country with ~ 15.6 Cr residents (Census 2011) State represents ~ 1/7th of total rural households of the country with ~ 2.54 Cr Households 75 — 75% of total PRIs are Gram Panchayats But total functionaries at GP level are ~ 8000 GP Secretary only ~ 4000 GP Sec have recently been recruited, joining in process 77,965 — Elected Representatives 59,020 — Gram Panchayat Members 7,45,475 — GP Members Total — 19.98 Cr Rural — 15.54 Cr SC — 4.135 Cr ST — 0.114 Cr ~ 21 lacs per ZP ~ 1.9 lacs per BP ~ 2600 per GP	प्रदेश में पंचायती राज विभाग के आधारभूत आंकड़ों से पंचायती राज पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

Functions Devolved to Panchayats

As per 73rd Constitutional Amendment Act, 29 functions may be devolved to PRIs
In our State following functions/activities are devolved:

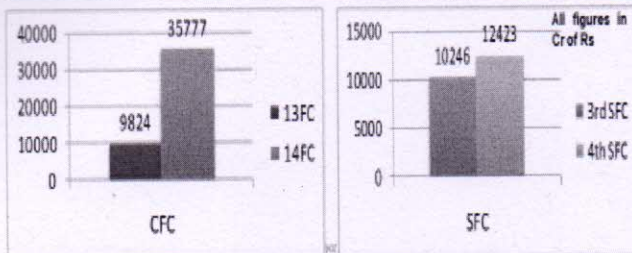
1. Operation and Maintenance of Rural Water Supply schemes.	9. Maintenance of assets created in Panchayat area
2. Poverty alleviation programmes	10. Youth Welfare programmes at village level
3. Operation and Maintenance of rural market and fairs.	11. Rural Housing schemes- selection of beneficiaries
4. Maintenance and Supervision of 'D' category Veterinary Hospitals.	12. Verification of Inspection notes of CMOs and Dy. CMOs of CHCs and PHCs respectively, by Kshettra Panchayat Pramukhs and Gram Panchayat Pradhans respectively.
5. Welfare Programme for SC, ST and Other weaker sections - selection of pensioners & distribution of scholarships.	13. Minor irrigation-selection of beneficiaries
6. Food and Civil Supplies- supervision of PDS throughout the state including Jan Kerosene Programme	14. Maintenance of assets created under Sodic Land Reclamation Projects
7. Mid-Day Meal	15. Maintenance of seed stores, etc. to Kshettra Panchayats.
8. Rural Sanitation Programme.	

Gram Panchayat Development Plan

4

Background

- Increase in quantum of funds devolved to GPs under State Finance Commission (SFC)/Central FC (CFC)
- Under 14th FC, 100% funds are being devolved to GPs, No funding to KPs & ZPs
- Rs 82 Lacs shall be an average fund flow to a GP under 14th FC & 4th SFC over 5 years
- Focus on plan & budget preparation by GPs; Monitoring of works & accounting of funds through indigenous online software applications viz. PlanPlus, ActionSoft, PRIASoft & m-Asset---GoI Intervention
- Trend of fund flow to GPs under CFC & SFC is depicted below:



- 73^{वें} संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों को 29 कार्य हस्तांतरित किये गये हैं जिनमें से प्रदेश में ग्राम पंचायतों को 15 गतिविधियों से संबंधित कार्य हस्तांतरित किये जाने से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- समिति द्वारा जानकारी की दृष्टि से प्रश्न किया गया कि क्या ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती हैं।

- इसके सम्बन्ध में अन्य राज्यों एवं अपने प्रदेश की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा प्रदान किये गये।

- ग्राम पंचायतों को 14^{वें} वित्त में ₹0 9824 करोड़ से बढ़कर ₹0 35777 करोड़ तथा चतुर्थ राज्य वित्त में ₹0 10246 करोड़ से बढ़कर ₹0 12423 करोड़ हस्तान्तरित होने वाली धनराशि से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- बैठक में पूछे गये प्रश्न कि क्या 14^{वें} वित्त से ए.एन.एम. सेंटर में वज़न तौलने की मशीन आदि उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं, पर समिति द्वारा बताया गया 14^{वें} वित्त के शासनादेश संख्या: 234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार का क्रय किया जा सकता है। अपितु उपकरण खरीदने का कार्य ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) में उपलब्ध ₹0 10,000 की धनराशि से किया जा सकता है।

GPDP: An Integrated Planning

"democracy cannot be worked by twenty men sitting at the centre. It has to be worked from below by the people of every village." - Mahatma Gandhi

Both the Constitution of India and the State Panchayati Raj Acts lay emphasis on planning for local development

PRs must prepare plans & budget as laid down in Section 15 (A) of UP PRA Act 1947 - CB AG

GPDP: A Bottom-up participatory planning exercise envisaging the following:

- An integrated plan by GPs for local economic development & social justice
- Focus on enhanced People's Participation & Community Mobilization
- Need identification visualizing long term development
- Creation of cost effective local models & innovations
- Better utilization of resources
- A step towards work-based Planning & Accounting

Linking

Integrating Elements covering SDG Goals

- Poverty Reduction
- Human Development
- Social Development
- Economic Development
- Good Governance
- Public Service Delivery

Myth: GPDP is a Scheme/Grant, Reality: It's not a Scheme/Grant but an Inherent integrated planning for local development

- ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य तथा सतत् विकास के लक्ष्यों (SDG-Sustainable Development Goal) से समेकन के विषय पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित होने वाली धनराशि के बेहतर प्रबन्धन, उपयोग, पारदर्शिता एवं जनसहभागिता बनाये रखने हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)-“हमारी योजना हमारा विकास” को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें सहभागी नियोजन,

समस्याओं/आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण कर स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण कर रही है तथा वर्ष 2016-17 की जी.पी.डी.पी. का निर्माण कर ऑनलाइन अपलोड किये जाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

- बैठक में 14वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के अभिसरण के प्रश्न पर समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना में मनरेगा एवं 14वें वित्त आयोग के मात्र कार्यों का अभिसरण किया जाना है।

GPDP...it's Advantages

Why GPDP?	Advantages
- Increased devolution of funds to GPs under FFC - Promotion of decentralized participatory planning - Activate Gram Sabhas & Standing committees of Gram Panchayats - Convergence of resources (3Fs) under FFC, SFC, NRLM, SBM (G) etc. - Convergence of work under MGNREGA	- Captures local needs - Enhances understanding of development by citizens & ERs - Ensures direct accountability of the local government to its citizens - Promotes local democracy and local ownership - Better appreciation of local potential - Ensures easy access to resources/entitlements/services - Better absorption and targeting of funds from different sources - Better monitoring of works & funds spent on development of a GP - Enables mobilization of all sections & their participation in governance - Provides space for integration of people's knowledge into local development - Way to respond to differential needs of different groups

"The best, quickest and most efficient way is to build up from the bottom..... Every village has to become a self-sufficient republic." -Mahatma Gandhi

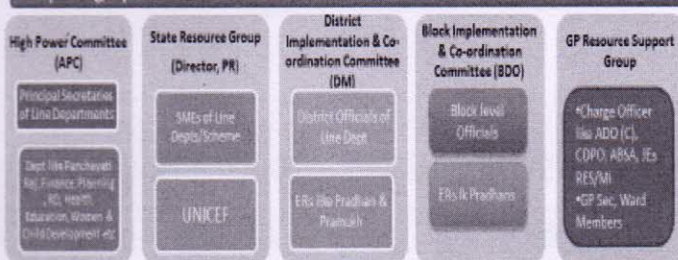
Gram Panchayat Development Plan

7

ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं योजना से होने वाले लाभ से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

GPDP Implementation : State Action

Policy Making, Implementation & Committees at various Level



Initial Steps

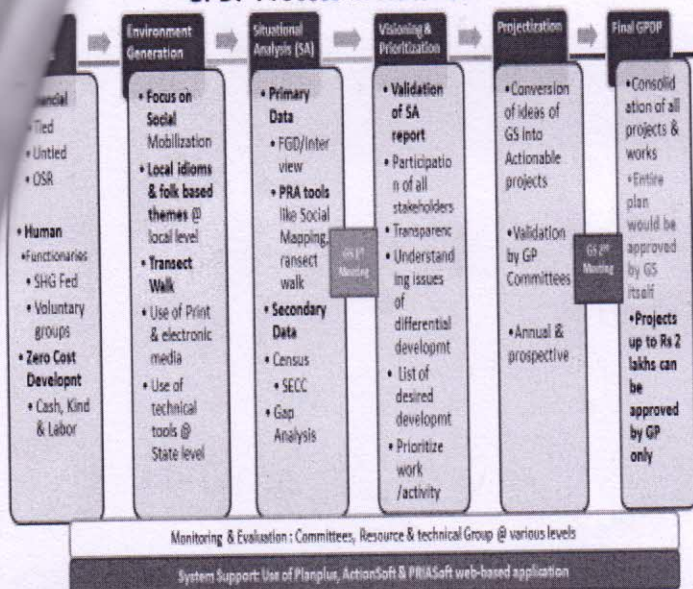
- Release of **comprehensive guidelines** inculcating **model procedure** for GPDP preparation
- Release of **GPDP Manual** in local language depicting the **step-wise procedure** for GPs to prepare the GPDP
- Formation of clusters @ Nyay Panchayat level** and creation of **cluster group** for better coordination & implementation of GPDP
- Use of print media and distribution of **training manuals** to spread awareness
- Intensive training & orientation sessions @ State/District/Block level

Gram Panchayat Development Plan

8

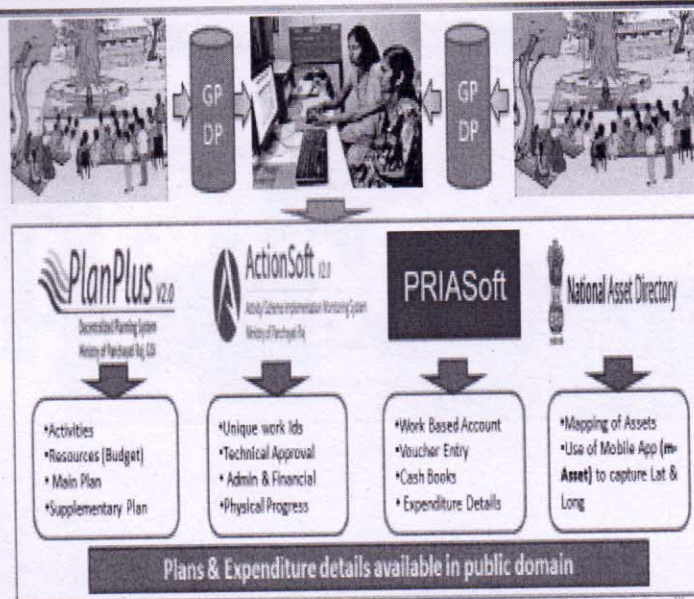
ग्राम पंचायत विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक गठित विभिन्न समितियों/समूहों पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

GPDP Process in Nutshell



ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया से पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

GPDP Implementation : Unique Initiative of State



- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण, बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता बनाये रखने एवं समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन किये जाने हेतु उपयोग किये जा रहे चार सॉफ्टवेयर— प्लान-प्लस, एक्शन सॉफ्ट, प्रिया सॉफ्ट एवं नेशनल एसेट डायरेक्टरी से पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

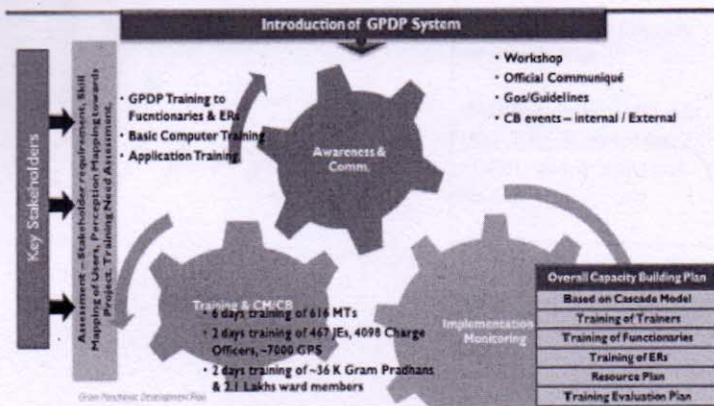
- ग्राम पंचायत में उपस्थित चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण नेशनल एसेट डायरेक्टरी में तथा उसके कोऑर्डिनेट्स मोबाइल के 'एम-एसेट' एप्लीकेशन के द्वारा अपलोड किये जा रहें हैं। इस विषय पर बैठक में पूछे गये प्रश्न कि परिसम्पत्ति के कोऑर्डिनेट्स अपलोड किये जाने के साथ-साथ उसे कितने वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा इसका कोई प्राविधान सॉफ्टवेयर में किया गया है ? अनुमानतः कितने समय के बाद परिसम्पत्ति की मरम्मत अथवा उसका पुनः निर्माण का कार्य कराया जा सकता है ?

○ समिति को अवगत कराया गया कि

सॉफ्टवेयर में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। प्राविधान कराने हेतु विभिन्न परिसम्पत्तियों के मापदंडों को राज्य स्तर से तय किये जाने के उपरान्त ही उसे सॉफ्टवेयर में जोड़ा जाना सम्भव होगा।

- बैठक में सुझाव दिया गया कि मनरेगा की भांति ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्यों के सापेक्ष 'प्रिया-साफ्ट' साफ्टवेयर में बुक किये जाने वाले व्यय को एफ.टी.ओ. (FTO- Fund Transfer Order) के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जाये।
 - समिति द्वारा एफ.टी.ओ. (FTO- Fund Transfer Order) की व्यवहार्यता का अध्ययन तथा अन्य राज्यों से मिलान करने के पश्चात् पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

State Action: Capacity Building Framework



ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य से ग्राम पंचायत स्तर तक क्षमता विकास हेतु कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

Achievements & Progress so far

99.9 % (59008/59023) GPDP plans uploaded on Plan plus Application. No 1 rank in the country

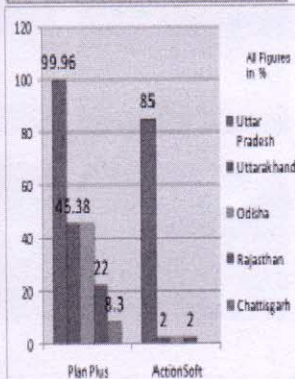
15 lacs works with unique IDs created under plans of 2016-17 in Action Soft Application

Gram Panchayats are on board in adding expenditure of 2016-17 in PRIASoft (Panchayati Raj Institutions Accounting Software)

~ 90 % of Functionaries viz. DDs, DPROs, BDOs, ADCs (P), GPS also trained

~ 2.5 lacs Elected Representatives have been imparted training on GPDP

Comparison with other State



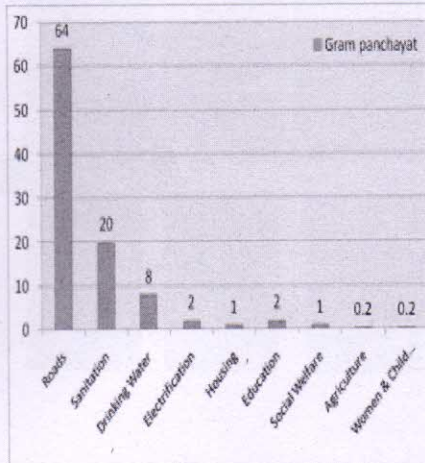
Financial Year 2016-17

Gram Panchayat Development Plan

12

ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की प्रगति तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की प्रगति पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

Progress so far: Sector wise coverage



→ Total Plan value uploaded is ~ 21,923 Cr

→ ~ 95% of plan value cover only four sectors viz. Roads, Sanitation, Drinking Water & Rural Electrification

→ ~ 64 % of plan value covers only one sector viz. Roads

→ Total funds devolved to GPs under 14th FC & 4th SFC over two years is ~ 14000 Cr which is ~ 70 % of total Plan value

Gram Panchayat Development Plan

13

- ग्राम पंचायतों द्वारा 'प्लान-प्लस' सॉफ्टवेयर पर अपलोड किये कार्यों के सेक्टरवार विवरण पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- सेक्टरवार अपलोड किये गये प्लान पर बैठक में प्रश्न किया गया कि क्या प्रत्येक सेक्टर हेतु किसी प्रकार की सीमा तय की गयी है।
 - प्रश्न के उत्तर में समिति द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टरवार सीमा तय न करके प्राथमिकता तय की गयी है जैसे 14वें वित्त के शासनादेश में पेयजल, स्वच्छता आदि को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें भी ग्राम सभा के बैठक में प्राथमिकता तय करते हुए कार्यों को ले सकती है।

Improvements & Progress so far

Resource Base of ~200 MTs created	~40 K Technical Sanction mapped ~3.5 crores Expenditure added in PRIASoft	Creation of Documentary film on planning process under GPDP for Awareness and dissemination of Knowledge
Specifically designed Training module for swift understanding	Inter-departmental Work shop for better co-ordination	Setting of Help-Desk for quick technical grievance redressal (In association with State NIC)

State Panchayat Development Plan

14

ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रगति एवं उपलब्धियों पर पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

Challenges Encountered

 Lack of Functionaries & Manpower	 Lack of Awareness & Capacity Building	 Lack of Seamless Information Exchange	 Non Availability of basic & ICT Infrastructure @ GP Level	 Lack of Co-ordination betn line departments @ State, District & other level
Proposed Mitigation				
*Provision of resources under FFC *Resources Sharing (ICs/ACs) from line dept *Creations of cluster @ Nyay Panchayat	*GP wise grant to support training to panchayat staff *ICs & Training of persons, ICs, ACs, SDGs, GPs & operators *Use of electronic & print media, wall painting etc.	*GP wise grant under FFC & SFC shared to districts	*1500 desktops to GPs *8000 laptops with dongles to GPs *OFN through Bharat Net (NoFN)	*This workshop *High Power Committee under APC *District coordination committee under DM

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के दौरान आयी चुनौतियों पर पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- चुनौती के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों की कमी पर श्री चंचल कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन द्वारा बताया गया कि प्रदेश में कुल 59073 ग्राम पंचायतों की तुलना में स्वीकृत पदों की संख्या 16421 (8135-पंचायती राज विभाग एवं 8286 ग्राम्य विकास विभाग) है जिसमें भरे पदों की संख्या 12552 (7500-पंचायती राज विभाग एवं 5052 ग्राम्य विकास विभाग) है।

इस प्रकार एक सचिव को 5-6 ग्राम पंचायतों का कार्य करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में जाने वाले बजट के बेहतर प्रबन्धन एवं उसके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के उचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों पर एक सचिव की उपलब्धता हो। इस प्रकार कुल स्वीकृत पदों 16421 तथा दो ग्राम पंचायतों पर एक सचिव की उपलब्धता के आधार पर कुल 32842 ग्राम पंचायतों पर ही उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। अन्य 26231 ग्राम पंचायतों हेतु 13116 सचिवों की आवश्यकता होगी।

- श्री प्रदीप भटनागर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को

हस्तान्तरित बजट एवं कार्यों की दृष्टि से सचिवों की संख्या को बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08-06-2012 को हुई बैठक के कार्यवृत्त (संलग्नक-1) में एजेण्डा बिन्दु 2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्वीकृत 8135 पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही करते हुए 3683 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती पूर्ण की जा चुकी है। उक्त से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- उक्त कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु 1 पर लिये गये निर्णय के सापेक्ष 26231 ग्राम पंचायतों हेतु अवशेष 13116 सचिवों के पदों का अगले 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक तिहाई अर्थात् प्रथम वर्ष में 4372 पदों वेतनमान रु० 5200-20200 ग्रेड पे-रु० 1900 के सृजन का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग द्वारा शासन को भेजे जाने पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Role of State Govt Departments

To ensure Participation of functionaries in Planning Process @ GS level								
Maintenance work of Assets handed over to GP to be included in GDP								
Rural Development	Women & Child Development	Primary Health	Basic Education	Agriculture	Cooperative	Jal Nigam	RES/MI /Mandi Parishad	Animal Husbandry
Schemes like MGNREGS, IAY, NRLM	ICDS	Maintenance of ANM Centre	School Maintenance	Maintenance of Krishi Godown	Maintenance of Godown	Maintenance of Hand-pump & Piped water Supply	JIS/ABEs- Estimates & Technical Sanction	Maintenance of Pashu palan Kendra
Selection of Beneficiaries	Maintenance of Anganwadi						Selection of Beneficiaries	

- ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में संबंधित विभागों की भूमिका पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत संबंधित विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु सम्भावित कार्यों की सूची पर विस्तार से बताया गया। चर्चा के उत्तर में संबंधित विभागों द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव संबंधित कार्यों को वर्ष 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में शामिल करने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के

स्तर से समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश जारी किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। विभागों को जारी निर्देशों के क्रम में समस्त विभागों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

- समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सभी विभाग अपने अधिकारियों/कर्मियों को निर्देशित करें कि वह ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु आयोजित ग्राम सभा के बैठक में प्रतिभाग करें। ग्राम पंचायतों में उनके विभाग द्वारा सीधे तौर पर कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में दें। जिससे कि योजना बनाते समय कार्य दोहराये न जायें तथा ग्राम सभा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर तय करे कि उन्हें किन कार्यों को स्वयं की योजना में शामिल किया जाना है।

Way Forward...

- ☐ Prompt Inter-departmental co-ordination through regular meeting @ State, district, block & GP levels
- ☐ ~ 3.5 Lakhs ward member training proposed to be completed this FY
- ☐ Kick-off for preparation of Annual plan (GPDP) of 2017-18
- ☐ Provision of two JEs & a Computer Operator @ block level through outsourcing
- ☐ Provision of laptops for newly recruited Gram Panchayat Adhikari (~4000)
- ☐ Media Workshop & other awareness campaign proposed
- ☐ Better GPDP plans by GPs, who have been declared ODF following a CLTS approach, hence, it is proposed to replicate the model for GPDP as well.

Gram Panchayat Development Plan

17

ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत भविष्य में किये जाने वाले कार्यों से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

माननीय कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु-2- अन्य बिन्दु- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु प्रस्ताव।

ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं की विकास योजना सामुदायिक सहभागिता के साथ तैयार करें। राज्य से विकास खण्ड स्तर तक क्षमता विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना पर

रण निर्माण एवं प्रक्रिया पर समझ बनाने का किया गया है। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे कर्मठ एवं सक्रिय लोगों चयन कर उन्हें संदर्भ व्यक्ति के तौर पर तैयार करना जो स्वयं ग्राम पंचायत में जाकर प्रचार-प्रसार करें तथा लोगों को प्रशिक्षित कर जी.पी.डी.पी. की प्रक्रिया के बारे में संवेदित करते हुए योजना तैयार करवायें। इसके लिए समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की रणनीति

- सी.एल.टी.एस. की ट्रिगरिंग प्रक्रिया की भांति जी.पी.डी.पी. पर ग्राम पंचायत को ट्रिगर करने हेतु ग्राम प्रधान को रिसोर्स पर्सन के तौर पर तैयार करना।
- प्रत्येक विकास खण्ड से दो ग्राम प्रधानों का चयन कर राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करना।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्य का वित्तीय विवरण

अनुमोदित धनराशि को ग्राम प्रधानों को रिसोर्स पर्सन के रूप में तैयार किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में स्थानान्तरित करने संबंधी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

क्र सं	मद	धनराशि (रु० लाख में)
1.	प्रशिक्षण	
	राज्य स्तर पर 1702 (02 ग्राम प्रधान प्रत्येक विकास खण्ड से) ग्राम प्रधानों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण- 851x02x03x1850	94.46
	प्रत्येक ग्राम पंचायतवार रु० 1000 मानदेय के रूप में- 1000x59073	590.73
	प्रत्येक ग्राम पंचायतवार रु० 250 यात्रा व्यय के रूप में- 250x59073	147.68
	कुल आवश्यक धनराशि	832.87
2.	विभिन्न गतिविधियों में अनुमोदित धनराशि	
	विकास खण्ड स्तरीय ग्राम प्रधान एवं सचिवों का ओ.एस.आर. पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	670.73
	न्याय पंचायत स्तर के कम्प्यूटर ऑपरेटरों का पी.ई.एस. एप्लीकेशन पर छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	366.07

कुल अनुमोदित धनराशि

1036.8

अतः प्रस्ताव है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 क्षमता विकास हेतु उक्त दो गतिविधियों में अनुमोदित धनराशि को ग्राम प्रधानों को रिसोर्स पर्सन के रूप में तैयार किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में स्थानान्तरित करने संबंधी भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर समिति निर्णय लेना चाहे।

माननीय समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

चंचल कुमार तिवारी

अपर मुख्य सचिव।

सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी,
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।

उ0प्र0 शासन

पंचायतीराज अनुभाग-3

संख्या-226/33-3-2017-60/2016

लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
5. समस्त विभागों के प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
6. समस्त सदस्यगण, पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी।

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी,
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।